आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice Department

Educational Assistance to Children of Prisoners

केरल का सामाजिक न्याय विभाग BPL परिवारों के जेल में बंद लोगों के बच्चों को मासिक शैक्षणिक सहायता देता है, जो बच्चे की कक्षा के स्तर के साथ बढ़ती है।

क्या मिल सकता है

मासिक सहायता 5 साल से छोटे और कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए Rs 300, कक्षा 6 से 10 के लिए Rs 500, प्लस वन और प्लस टू के लिए Rs 750 और डिग्री व प्रोफ़ेशनल कोर्स के लिए Rs 1,000 है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है और बच्चे के भोजन, कपड़े, स्कूल फ़ीस जैसे खर्चों के लिए है।

किसके लिए है

केरल में जेल में बंद व्यक्तियों के BPL परिवारों के बच्चे, छोटी उम्र से डिग्री और प्रोफ़ेशनल कोर्स तक की पढ़ाई के लिए।

मुख्य शर्तें

- बच्चे का परिवार BPL सूची में होना चाहिए।
- बच्चा ऐसे व्यक्ति की संतान हो जो जेल में बंद है।
- आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ भेजा जाता है।

दस्तावेज़

- जेल अधीक्षक का प्रमाणपत्र
- स्कूल, कॉलेज या संस्था प्रमुख का प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से सिफारिश के साथ जमा किए जाते हैं।
2. जेल अधीक्षक का प्रमाणपत्र और स्कूल, कॉलेज या संस्था प्रमुख का प्रमाणपत्र तैयार रखें।
3. मंज़ूरी के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/prob_Educational_Asst.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/Citizen_Platform/suneethi/index.php
आधिकारिक PDF: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/prob_Educational_Asst.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/kerala/kl-prisoners-children-educational-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।